



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082022-238485
CG-DL-E-31082022-238485

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 416]
No. 416]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 31, 2022/भाद्र 9, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 31, 2022/BHADRA 9, 1944

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2022

फा. स. स्टैंडर्ड्स/एसपी-05/टी(आईएफआर-01).—कतिपय विनियम प्रारूप, अर्थात् खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 में की गई अपेक्षा के अनुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-05/टी(आईएफआर-01) दिनांक 22 सितम्बर, 2021 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से सरकारी राजपत्र, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनकी प्रभावित होने की सम्भावना थी उस तिथि से साठ दिन की अवधि समाप्त होने के पूर्व जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 24 सितम्बर, 2021 को उपलब्ध करायी गई थीं।

और उक्त मसौदा विनियम के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियां और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड़) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 का में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-

विनियम

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) प्रथम संशोधन विनियम, 2022 है।
- (2) ये तारीख 1 अक्तूबर, 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में,-

(1) विनियम 4 में, पहले पैरा में 'खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011' शब्दों, कोष्ठको और अंको के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठकों और अंकों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020”;

(2) विनियम 7 में,-

(i) उप-विनियम (1) के खंड (छ) की सारिणी में, क्रम संख्या 19 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सेक्रम संख्या और प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात्:-

“19.	विटामिन बी12, µg	0.25-4.0	0.05-0.90”;
------	------------------	----------	-------------

(ii) उप-विनियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

“ (3) जब पाउडर के रूप में शिशु फॉर्मूला किसी वनस्पति तेल, लिनोलिएट, विटामिन ई, स्टार्च, विनिर्दिष्ट खाद्य सहयोग्य और वैकल्पिक संघटकों के बिना बनाया जाता है, तो उस उत्पाद को 'शिशु के लिए दुग्ध खाद्य' कहा जा सकता है।”

(3) विनियम 10 में,-

(i) उप-विनियम (1) के खंड (ज) की सारिणी में, क्रम संख्या 15 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि राखी जाएगी, अर्थात्:-

“15.	विटामिन बी12, µg	0.25-4.0	0.05-0.90”;
------	------------------	----------	-------------

(ii) उप-विनियम (2) में, खंड (क) की सारिणी में,

(क) 'पीएच समायोजक एजेंट' शब्दों के स्थान पर “अम्लता नियामक” शब्दों को रखा जाएगा।

(ख) वर्तमान प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“पैकेजिंग गैस		
कार्बन डाईऑक्साइड	290	जीएमपी”
नाइट्रोजन	941	

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./236/2022-23]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा.सं. स्टैंडर्ड्स/03/अधिसूचना (आईएफआर)/एफएसएसएआई-2017, दिनांक 4 दिसंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2022

F. No. Std./SP-05/T(IFR-01).—Whereas the draft of certain regulations, namely, the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) amendment Regulations, 2021, was published vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F. No. Std./SP-05/T(IFR-01), dated the 22nd September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby, within a period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Official Gazette were made available to the public on the 24th September, 2021;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020, namely: -

Regulation

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) First Amendment Regulations, 2022.

(2) They shall come into force on 1st October, 2022.

2. In the Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2020,-

(1) in regulation 4, in the first paragraph, for the words, brackets and figures 'Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011' the following words, brackets and figures shall be substituted, namely:-

“Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020”;

(2) in regulation 7,

(i) in sub-regulation (1), in clause (g), in the table for serial no 19 and the entries relating thereto the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“19.	Vitamin B12, µg	0.25 – 4.0	0.05 –0.90”
------	-----------------	------------	-------------

(ii) after the sub-regulation (2), following shall be inserted namely:-

“(3) where an infant formula in powder format is manufactured without use of any vegetable oil, linoleate, vitamin E, starch, specified food additive and optional ingredients, the product may be named as ‘Infant Milk Food’.”;

(3) in regulation 10,

(i) in sub-regulation (1), in clause (h), in the table for serial number 15 and the entry relating thereto, the following serial number and entry shall be substituted, namely:-

“15.	Vitamin B12, µg	0.25 – 4.0	0.05 –0.90”;
------	-----------------	------------	--------------

(ii) in sub-regulation (2), in clause (a), in the table,-

(A) the words ‘pH adjusting agents’ shall be substituted with the words “Acidity regulators”.

(B) the following shall be inserted at the end , namely:-

“Packaging gases		
Carbon dioxide	290	GMP”
Nitrogen	941	

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./236/2022-23]

Note : The principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4, vide notification number F. No. Stds./03/Notification (IFR)/FSSAI-2017, the dated 4th December, 2020.